दिनांक: 29.03.2023

## परिपत्र / CIRCULAR No.38

विषय:भा लेप एवं ले विभाग के लिए आचार संहिता – बावत् Sub: Code of Ethics for IA&AD – reg.

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में आचार संहिता के पैरा 3.25 तथा 3.26 में अंतर्निहित प्रावधानों के अननुपालन को मुख्यालय कार्यालय ने गंभीरता से लिया है । इन प्रावधानों की संदर्भार्थ पुनःप्रस्तुत किया।जाता है :

The Headquarters office has seriously taken note of the non-compliance of the provisions contained in paras 3.25 and 3.26 of the Code of Ethics in Indian Audit and Accounts Department. The provisions are reproduced below for reference:

- पैरा 3.25: लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षित हस्तियों के प्रबंधकों व कर्मियां और अन्य पार्टियों से ऐसा संबंध रखने से बचना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने और कार्य करते हुए देखे जाने की क्षमता को प्रभावित करे, संकट में डाले और धमकी हो।
- Para 3.25: Auditors should avoid such relationships with managers and staff in the audited entity and other parties which may influence, compromise or threaten the ability to act and be seen to be acting independently.
- पैरा 3.26; लेखापरीक्षकों को अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग निजी प्रयोजनों के लिए नहीं करना चाहिए और ऐसे संबंधों से बचना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार का जोखिम शामिल हो और जिससे उनकी वस्तुनिष्ठता और स्वतंत्रता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो।
- Para 3.26: Auditors should not use their official position for private purposes and should avoid relationships which involve the risk of corruption or which may raise doubts about their objectivity and independence.

सभी अधिकारियों / पदाधिकारियों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें ऑर कडाई से अनुपालन करें ।

All the officers/officials are hereby directed to take note of and strictly adhere to the above provisions.

(प्र. मले. के अनुमोदन के साथ जारी।)

(This issues with the approval of Principal Accountant General)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.) Sr.AUDIT OFFICER (ADMN.)

## सेवा में /To

- 1. सभी शाखा अधिकारीगण /All Branch Officers
- 2. सभी अनुभाग /All Sections
- 3. Notice Board